

## राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2223887, Fax : 0141-2228065

CIN:U24232RJ2011SGC035067

ई-मेल : edepmrmisc-ri@nic.in

Website:www.rmssc.nic.in

No. F-8( ) RMSC/EPM/16/6133

Dated: 14/12/16

कार्यालय आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के आदेश क्रमांक No. F-8( ) RMSC/EPM/16/3233 दिनांक 20.07.16 द्वारा निगम के द्वारा औजार एवं उपकरणों के लिये जारी की गयी निविदा संख्या No. F-8( ) RMSC/EPM/M-5/15-16/NIB-75/10167 dated 10.04.15 (NIB-75) (निविदा प्राप्ति दिनांक 22.07.15) में आइटम 100mA High Frequency X-Ray Machine, 300mA High Frequency X-Ray Machine, 500mA High Frequency X-Ray Machine and High Frequency 100mA Mobile X-ray Machine की निविदा में भाग लेने वाली फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., SCO-212, 213, 214 Sector-34 A, Chandigarh को, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम द्वारा जारी किये जाने वाली निविदाओं में भाग लेने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिये Debar किया गया। Debar की अवधि आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी थी।

फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., SCO-212, 213, 214 Sector-34 A, Chandigarh द्वारा निगम के आदेश क्रमांक No. F-8( ) RMSC/EPM/16/3233 दिनांक 20.07.16 के क्रम में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अन्तर्गत द्वितीय अपील अधिकारी (प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील की सुनवाई दिनांक 10.11.16 को नियत की गयी।

द्वितीय अपील अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 23.11.16 द्वारा प्रकरण में निर्णय जारी किया कि, अपीलार्थी द्वारा त्रुटि स्वीकार किये जाने, त्रुटि का कारण बोनाफाईड प्रतीत होने एवं प्रतिबंध के आदेश के Multiple प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी फर्म M/s Allengers Medical Systems Ltd., Chandigarh पर निगम के आदेश दिनांक 20.07.16 से किये गये Debar की प्रभावी अवधि में, शिथिलता प्रदान करते हुए इस आदेश जारी करने की दिनांक तक, सीमित किया गया एवं अपीलार्थी की अपील अंतिम रूप से निस्तारित की गयी।

अतः द्वितीय अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 23.11.16 के अनुसरण में, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम के आदेश क्रमांक No. F-8( ) RMSC/EPM/16/3233 दिनांक 20.07.16 को दिनांक 23.11.16 तक सीमित किया जाता है।

८०  
प्रबन्ध निदेशक  
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम,  
जयपुर


No. F-8( ) RMSC/EPM/16/6133

Dated: 14/12/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. P.S. to Hon'ble Health Minister, Medical & Health Deptt. Govt. of Rajasthan.
2. P.S. to PHS, Medical Health & FW Deptt. Rajasthan, Jaipur.
3. P.S. to Mission Director NHM Jaipur.
4. Director, (PH)/(Aids)/(FW)/(RCH)/(IEC)/(ESI).
5. Principal, Medical College, Ajmer, Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, Jhalawar & Udaipur.
6. Principal R.U.H.S. College of Dental Science Jaipur.
7. Principal, RUHS College of Medical Sciences, Jaipur.
8. Superintendent Japuriya Hospital Jaipur (Associated with RUHS College of Medical Sciences, Jaipur).
9. Superintendent, SMS Hospital, Zenana Hospital, Mahila Chikitsalya, Mental Hospital, J.K. Lon Hospital, T.B & Chest Hospital, Jaipur.
10. Superintendent Associated Group of Hospital-Ajmer, M.G. Hospital, Jodhpur, Ummaid Hospital-Jodhpur, PBM Hospital-Bikaner, MBS Hospital-Kota & A.G. Hospital-Udaipur.
11. Director, Medical & Health Services (ESI), Mobile Surgical Unit, Raj. Jaipur.
12. Addl. Director, Medical & Health Services (PW)/(RH)/(Hospital Admn.)

13. Joint Director, Medical & Health Services, (Zone) Jaipur, Ajmer, Udaipur, Jodhpur, Bikaner, Kota & Bharatpur.
14. O.S.D., R.M.S.C.L., Jaipur.
15. Executive Director (EPM/Proc/QC/Logistics/Finance), RMSCL, Jaipur.
16. All P.M.O.'s.
17. All CM&HO's.
18. All Dy. CM&HO's.
19. AGM (IT), RMSC, Jaipur.
20. Sr-Manager-I (EPM), RMSCL, Jaipur.
21. Sr-Manager-II (EPM), RMSCL, Jaipur.
22. M/s Allengers Medical Systems Ltd., SCO-212, 213, 214 Sector-34 A, Chandigarh-U.T. 160022.
23. Guard file.

  
 कार्यकारी निदेशक (ई.पी.एम)  
 राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम,  
 जयपुर